

**उत्तर प्रदेश शासन****संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2**

संख्या-क0नि0-2-1404/ग्यारह-9(109)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(46)-2017

लखनऊ: दिनांक: 26 सितम्बर, 2017

**अधिसूचना**

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 123 के उपनियम (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल एक राज्य स्तरीय छानबीन समिति का गठन करते हैं जिसे उत्तर प्रदेश मुनाफाखोरी रोधी छानबीन समिति के रूप में जाना जायेगा। उक्त समिति में निम्नलिखित होंगे : —

- (क) आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जानेवाला, राज्य सरकार का एक अधिकारी, और
- (ख) मुख्य मुख्य आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जानेवाला, केंद्रीय सरकार का एक अधिकारी।

2— यह अधिसूचना तारीख 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,



( राजेन्द्र कुमार तिवारी )

अपर मुख्य राक्षित